दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 9 अप्रैल, 2024

नि.प्र.अ. 284/2020

वतीना बेगम ..... अपीलार्थी

द्वाराः मोहम्मद आज़म अंसारी,
अधिवक्ता

बनाम

शमीम जफर और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वाराः श्री शेखर प्रीत झा, श्री एस.एस. हैदर और श्री प्रीति कुमारी,
अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय न्यायाधीश श्री चंद्र धारी सिंह

आदेश

न्याय. चंद्र धारी सिंह (मौखिक)
सि.वि.आ. 30152/2020 (अपील दायर करने में देरी के लिए माफी मांगना)

1. आवेदक/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तत्काल आवेदन सह अपील को दर्ज करने में 820 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करते हुए परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।

2. यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि आक्षेपित निर्णय दिनाँक 11 नवंबर, 2013 को सुनाया गया था, तथापि, यह 28 मई, 2018 को समान रूप से आवेदक/अपीलार्थी की जानकारी में आया जैसा कि वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमे में पक्षकार नहीं थी और यह बात विद्वान निष्पादन न्यायालय के 29 मई, 2018 के आदेश से भी स्पष्ट/सुस्पष्ट है।

3. यह निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिसीमा अवधि 28 मई, 2018 से शुरू होगी और यहाँ इस तारीख से गणना करते हुए, अपील दायर करने में 820 दिनों की देरी है।

4. यह निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त देरी इसलिए हुई क्योंकि अपीलकर्ता 5 जून, 2018 को आपत्तियां दायर करके विद्वान् निष्पादन न्यायालय के समक्ष अपने मामले को आगे बढ़ाने में व्यस्त थी।

5. यह निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त आपत्ति को दिनाँक 13 अगस्त, 2020 को विद्वत निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष ई.एफ.ए. संख्या 9/2020 पर भी चुनौती दी गई थी, जिसमें दिनाँक 19 नवंबर, 2020 को निर्णय सुरक्षित रखा गया था, जिस

तारीख को वर्तमान अपील दायर की गई थी, और इस प्रकार, आवेदक/अपीलार्थी वर्तमान अपील दायर करने से पहले मुकदमों में लगे हुए थे।

6. यह निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त कथित कारण, से अपील दायर करने में 820 दिनों की देरी हुई है और यह समान रूप से न तो सुविचारित है और न ही जानबूझकर किया गया है।

7. यह निवेदन किया गया है कि ***एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति,*** (1998) 7 एससीसी 123, में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, न्यायालयों को देरी को माफ करने में उदारता दिखानी होगी क्योंकि समान रूप से इसका उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को सुकर बनाना है।

8. इसलिए, पूर्वगामी निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, यह निवेदन किया जाता है कि तत्काल आवेदन में देरी को माफ किया जा सकता है और गुणागुण के आधार पर अपील की सुनवाई की जा सकती है।

9. इसके विपरीत, गैर-आवेदकों/प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस आवेदन का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह तत्काल आवेदन किसी भी गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

10. यह निवेदन किया गया है कि आवेदक/अपीलकर्ता ने वास्तविक तथ्यों को छुपाया है क्योंकि उक्त अपील दायर करने में देरी 820 दिन नहीं है बल्कि यह लगभग सात वर्ष से अधिक है जब से दिनाँक 11 नवंबर, 2013 को आक्षेपित

निर्णय पारित किया गया था और वर्तमान अपील वर्ष 2020 में दायर की गई थी।

11. यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक/अपीलार्थी का यह निवेदन कि उसे जानकारी नहीं थी कि वाद गलत और मनगढ़ंत है। आवेदक/अपीलार्थी वाद की संपत्ति का अनधिकृत अधिभोगी है और वाद के सम्मन देना को वाद की संपत्ति के सहजदृश्य स्थान पर वितरित और चिपकाया गया था। इसके अलावा, वाद सूचना भी अखबार में प्रकाशित की गई थी।

12. यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक/अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह आधार कथित किया है कि आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि वाद की संपत्ति उसके कब्जे में थी। यह आगे निवेदन किया जाता है कि उक्त कारण से वह इस न्यायालय के समक्ष यह अभिवाक करना नहीं कर सकती कि उसे विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के बारे जानकारी नहीं थी।

13. यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा कथित कारण आधारहीन हैं और असद्भावपूर्वक इरादों के साथ बनाए गए हैं, इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अनुचित और अत्यधिक देरी के कारण, देरी की माफी की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन में कोई गुणागुण नहीं है और शीर्षक वाली अपील को सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

14. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

15. यह आवेदक/अपीलार्थी का मामला है कि उसे वर्ष 2013 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय के सबंध में जानकारी नहीं थी और उसे इस मामले के बारे में वर्ष 2018 में ही पता चला जब उसने विद्वान निष्पादन न्यायालय के समक्ष निष्पादन कार्यवाही में भाग लिया। आवेदक/अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि चूंकि वह विद्वान निष्पादन न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने में व्यस्त थी, इसलिए तत्काल अपील दायर करने में 820 दिनों की देरी हुई है। यह आगे प्रतिविरोध किया गया है कि उपरोक्त कारण पर्याप्त कारण हैं और इसलिए, देरी को माफ किया जा सकता है।

16. तर्कों के दौरान, आवेदक/अपीलकर्ता के मामले का यद्यपि खंडन करते हुए प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रदान किए गए आधार अपर्याप्त हैं और इसलिए, देरी को उक्त आधारों पर माफ नहीं किया जा सकता है।

17. इस मोड़ पर, इस न्यायालय ने अपीलार्थी/आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को एक बहेतर शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा, जिसमें शीर्षक वाली अपील दायर करने में अत्यधिक देरी की व्याख्या की गई है, हालांकि, विद्वान अधिवक्ता ने तत्काल आवेदन पर जोर दिया और प्रार्थना की

कि आवेदन में उल्लिखित आधारों के आधार पर ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

18. अपील दायर करने में देरी को माफ करने का सिद्धांत परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा शासित है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

> *" ....5. **विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण** – कोई भी अपील सिविल या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधो में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था*
>
> *स्पष्टीकरण।–यह तथ्य कि अपीलकर्ता या आवेदक विहित काल का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से चूक गए थे, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।*

19. उपर्युक्त कथित उपबंधों के अवलोकन में कथन है कि अपील या कोई अन्य आवेदन दायर करने की सीमा अवधि को बढ़ाया जा सकता है यदि संबंधित पक्ष न्यायालय को संतुष्ट करता है कि यहाँ देरी का पर्याप्त कारण था।

20. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत, विधायिका ने इस न्यायालय को देरी को क्षमा

करने की शक्ति प्रदान की है ताकि वे गुणागुण के आधार पर मामलों का निपटारा करके पक्षकारों को उचित न्याय प्राप्त करने में समर्थ बना सकें। ***ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी,*** **(2013) 12 एस.सी.सी. 649,** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की व्याख्या पर ध्यान देते हुए कहाः

> *"**10**. इस बात पर जोर दिया गया कि यहाँ एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि इस मामले को तर्कसंगत सामान्य समझ व्यावहारिक तरीके से निपटाया जाना चाहिए और तकनीकी विचारों पर उचित न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी रेखांकित किया गया कि यहाँ ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी जानबूझकर या दोषपूर्ण लापरवाही के कारण की गई है और न्यायालयों से तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि अन्याय को दूर करना न्यायालय का कर्तव्य है।*
>
> *****
>
> ***12**. जी. रामगौड़ा बनाम भूमि अर्जन अधिकारी [(1988) 2 एस. सी. सी. 142] में, न्यायाधीश वेंकटचलैया, (उस समय माननीय न्यायमूर्ति मूर्ति के रूप में) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस प्रकार राय दी हैः (एस.सी.सी. पीपी. 147-48, पैरा 14)*
>
> > *"14. अपील दायर करने में देरी को माफ करने के मामले में न्यायालयों के विवेकाधिकार के क्षेत्र की*

रूपरेखा इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित की गई है। देखें रामलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड [ए.आई.आर.1962 एस.सी. 361:(1962) 2 एस.सी.आर. 762], शकुंतला देवी जैन बनाम कुंतल कुमारी [ए.आई.आर.1969 एस.सी. 575:(1969) 1 एस.सी.आर. 1006], कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम निर्मला देवी [(1979) 4 एस.सी.सी. 365 : 1979 एस.सी.सी. (आपराधिक) 996 : (1979) 3 एस.सी.आर. 694], माता दिन बनाम ए. नारायणन [(1969) 2 एस. सी.सी. 770: (1970) 2 एस.सी.आर. 90] और कलक्टर (एल.ए.) बनाम कटिजी [(1987) 2 एस.सी. सी. 107 : 1989 एस.सी.सी. (कर) 172] आदि। यहाँ यह सच है कि कोई भी सामान्य सिद्धांत पक्षकार को उसके अधिवक्ता की सभी गलतियों से नहीं बचाता है। यदि पक्षकार या उसके अधिवक्ता की ओर से लापरवाही, जानबूझकर या घोर निष्क्रियता या नेक नीयती की कमी है, तो कोई कारण नहीं है कि विरोधी पक्षकार को समय-बाधित अपील के लिए उजागर किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले को इसके अपने विशेष तथ्यों की विशिष्टताओं पर विचार करना होगा। हालांकि, धारा 5 में "पर्याप्त हेतुक" अभिव्यक्ति को एक उदार अर्थ प्राप्त करना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके और अपीलों को दर्ज करने करने में देरी को आम तौर पर न्याय के हित में माफ किया जाना आवश्यक है,

जहां देरी की माफी की मांग करने वाले पक्षकार के लिए लांछन कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या नेक नीयती की कमी नहीं है।"...."

21. उपरोक्त उद्धरण के अवलोकन में कहा गया है कि परिसीमा का कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है। विधानमंडल दलों के अधिकारों को नष्ट करने के उद्देश्य के साथ सीमा विहित नहीं करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि वे विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें और बिना देरी के उपचार की तलाश करें। उक्त सिद्धांत के पीछे मूल विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपचार को एक विशेष अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए, हालांकि, न्यायालयों को देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि निर्धारित समय के भीतर उपचार का लाभ नहीं उठाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया हो।

22. यदि कोई पक्षकार अपने अधिकारों और उपचारों को लागू करने में पूरी तरह से लापरवाही करता है, तो दूसरे पक्ष को उस मूल्यवान अधिकार से वंचित करना भी उतना ही अनुचित होगा जो उसके सतर्कतापूर्वक कार्य करने के परिणामस्वरूप उसे कानून में प्राप्त हुआ है।

23. इस न्यायालय का विचार है कि केवल कानून के विभिन्न मंचों के समक्ष मुकदमों को आगे बढ़ाना देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता है जब तक कि यह अभिलेख से यह नहीं दिखाया जाता है कि संबंधित पक्षकार गलत

अधिकारिता के समक्ष मुकदमों को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन नेक नीयती विश्वास के तहत।

24. ऐसी स्थिति में, उक्त नेक नीयती की गलती के कारण, देरी को माफ किया जा सकता है। इसके अलावा, पर्याप्त कारण के बिना देरी को न्यायालयों द्वारा नियमित तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष याचिका, वाद या आवेदन को सीमा के भीतर दायर मुकदमाना विहित नियम है और इस तरह के निर्धारित नियम से कोई भी विचलन तय किए गए कानूनी प्रस्तावों की प्रकृति के खिलाफ है। उसी के संबंध में कानून यह है कि देरी की माफी एक अपवाद है और देरी को माफ करते हुए, विशेष रूप से, अत्यंत देरी, न्यायालयों को देरी की माफी की मांग करने वाले पक्ष द्वारा निवेदित कारणों की विश्वसनीयता पर विचार करना होगा। केवल अगर कारण वास्तविक और स्वीकार्य हैं, तो ही इतनी बड़ी देरी को माफ किया जाना चाहिए और अन्यथा नहीं। इस प्रकार, देरी को माफ करना एक नियमित मामला नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति, जो सतर्क नहीं है, लंबे समय के बाद राहत का हकदार नहीं है।

25. जहां तक तत्काल मामले के तथ्यों का संबंध है, शीर्षक वाली अपील दिनाँक 23 नवंबर, 2020 को दायर की गई थी और आक्षेपित निर्णय दिनाँक 11 नवंबर, 2013 को पारित किया गया था।

26. नियमित पहली अपील दायर करने की परिसीमा अवधि नब्बे दिन है और यह देखा गया है कि नियमित पहली अपील दायर करने में लगभग सात वर्ष की देरी होती है जो विहित वैधानिक सीमा अवधि से परे है।

27. आवेदक/अपीलार्थी की ओर से यह प्रतिविरोध किया गया है कि वह वाद के बारे में नहीं जानती थी क्योंकि वह उसमें पक्षकार नहीं थी और वह आक्षेपित निर्णय के पारित होने के बारे में भी नहीं जानती थी। यह भी प्रतिविरोध किया गया है कि आवेदक/अपीलार्थी दिनाँक 5 जून, 2018 को आपत्तियां दायर करके विद्वान् निष्पादन न्यायालय के समक्ष अपने मामले को आगे बढ़ाने में व्यस्त था। देरी को माफ करने की मांग करने वाले अपने मामले का समर्थन करने के लिए आवेदक/अपीलार्थी द्वारा उक्त कारण बताए गए हैं।

28. वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में, यह कथित है कि एक बार जब एक पक्षकार के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार अर्जित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा पक्षकार पर्याप्त कारण और अपने स्वयं के आचरण को दिखाकर देरी की व्याख्या करने में विफल रहता है, तो केवल आवेदक से पूछने पर उस अधिकार को छीनना अनुचित होगा, विशेष रूप से जब देरी सीधे उस पक्ष की लापरवाही, चूक या निष्क्रियता का परिणाम है।

29. यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि "पर्याप्त हेतुक" पद का तात्पर्य कानूनी और पर्याप्त कारणों की उपस्थिति से है और तत्काल आवेदन में आवेदक/अपीलार्थी यह दिखाने में असमर्थ रहा है कि कैसे, *नेक नीयती* से कार्य

करने के दावे के अलावा, उसने अपनी शक्ति और नियंत्रण के भीतर सभी संभावित कदम उठाए थे, और बिना किसी अनावश्यक देरी के इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

30. इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक/अपीलार्थी पर्याप्त कारण दिखाने में असमर्थ रहा है और केवल यह कहते हुए कि उसे कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी और आक्षेपित निर्णय के पारित होने से देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होते हैं।

31. आवेदक/अपीलार्थी को उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए था जिनके कारण देरी हुई और केवल यह निवेदन करना कि वह कानून के एक अलग मंच के समक्ष मुकदमेबाजी कर रही थी, एक विवेकपूर्ण विवाद के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि *प्रथमदृष्टया* यह अस्पष्ट और अनुचित होने के बराबर है।

32. तत्काल मामले के तथ्यों पर ऊपर चर्चा किए गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए और अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए आवेदन में किए गए कथनों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक/अपीलार्थी शीर्षांकित अपील दायर करने में अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण स्थापित करने में असमर्थ रहा है।

33. इसलिए, इस न्यायालय को नियमित पहली अपील दायर करने में देरी को माफ करने की मांग करने वाले तत्काल आवेदन को अनुमति देने का कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं मिलता है।

34. उपरोक्त तथ्यों और कानून की चर्चा के आलोक में, तत्काल आवेदन खारिज किया जाता है।

<u>नि.प्र.अ. 284/2020, सि.वि.आ. 30154/2020, सि.वि.आ. 30155/2020 और सि.वि.आ. 30156/2020</u>

सि.वि.आ. 30152/2020 में पारित सम तिथि के आदेश को देखते हुए वर्तमान अपील दायर करने में देरी की माफी की मांग करते हुए, लंबित आवेदनों के साथ तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है।

न्या. चंद्र धारी सिंह

अप्रैल 9, 2024
डीवाई/आरवाई पी/एवी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*